न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी :—श्री राजेन्द्र कुमार RAS

दावा अन्तर्गत धारा 88, 49 आर.टी.एक्ट.
अनिल गोस्वामी आदि बनाम धुड़ाराम आदि
वाद पत्र संख्या 46 वर्ष 2023

निर्णय दिनांकः— 07/11/2025

1. अनिल गोस्वामी पुत्र वासुदेव गोस्वामी जाति गोस्वामी (गुंसाई) निवासी तारानगर जिला चूरू।
2. प्रवीण गिरी पुत्र मनफूल गिरी जाति गोस्वामी (गुंसाई) निवासी तारानगर जिला चूरू।
3. नाबालिग यश गोस्वामी पुत्र अश्वनी कुमार संरक्षक सरपरस्त माता सुनिता देवी पत्नी अश्वनी कुमार जाति गोस्वामी (गुंसाई) निवासी तारानगर जिला चूरू।
4. रघुनन्दन गोस्वामी पुत्र वासुदेव गोस्वामी जाति गोस्वामी (गुंसाई) निवासी तारानगर जिला चूरू।
5. रविन्द्रगिरी पुत्र मनफूल गिरी जाति गोस्वामी (गुंसाई) निवासी तारानगर जिला चूरू।
6. हरिओम पुत्र सीताराम जाति गोस्वामी (गुंसाई) निवासी तारानगर जिला चूरू।

वादीगण

बनाम

1. धुड़ाराम पुत्र जैसाराम जाति माली निवासी तारानगर जिला चूरू।
2. जगदीश पुत्र जैसाराम जाति माली निवासी तारानगर जिला चूरू।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

प्रतिवादीगण

4. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा तारानगर जिला चूरू।
5. शाखा प्रबन्धक बेड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा तारानगर जिला चूरू।

गौण प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक व रिकॉर्ड दुरूस्ती हस्ब दफा 88, 49 आर.टी. एक्ट

उपस्थिति :—

1. **श्री आशाराम आचार्य अधिवक्ता वास्ते वादीगण**
2. **तहसीलदार तारानगर वास्ते पैरोकार राज**
3. **श्री केदारमल स्वामी वास्ते प्रतिवादी सं. 01 ता 2**

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

—::निर्णय::—

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि खेत ख.नं. 12 तादादी 4.8810 हैक्टयर, ख.नं. 196/11 तादादी 2.4658 हैक्टयर, ख.नं. 197/11 तादादी 2.4658 हैक्टयर रोही मौजा भूतिया तहसील तारानगर जिला चूरू में वाकै है। यही विवादित कृषि भूमि है। विवादित कृषि भूमियां दोनों संतराजात की पास—पास है। वादीगण के पूर्वजों ने नो—तोड़ करके काश्त करनी शुरू की थी। पूर्वजों के गुजरने के बाद उक्त कृषि भूमि वारिसान के नाम दर्ज हो गई। अब विवादित कृषि भूमियों के वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 काबिज काश्तकार एवं खातेदार है। वादीगण के कब्जे कास्त में खेत ख.नं. 196/11 तादादी 2.4658 हैक्टयर, ख.नं. 197/11 तादादी 2.4658 हैक्टयर कुल तादादी 4.9316 हैक्टयर है एवं प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में खेत ख.नं. 12 तादादी 4.8810

Rajendra

हैक्टयर रोही मौजा भूतिया तहसील तारानगर कब्जे काश्त में है। वादीगण ने अपने खेत ख.नं. 196/11, 197/11 के चारों तरफ तारबन्दी कर रखी है एवं प्रतिवादीगण ने खेत ख. नं. 12 के चारों तरफ तारबन्दी कर रखी है। वादीगण का खेत पड़ौसी से सींव के बाबत विवाद हो गया था तथा पटवारी ने मौका देखा तब बताया कि आप जिस खेत को काश्त करते हैं उसके ख.नं. 196/11 व 197/11 है एवं प्रतिवादीगण के खेत ख.नं. 12 है। दिनांक 20.01.2023 को पटवारी मौके पर आया था तब पता चला पहले वादीगण को कोई ज्ञान नहीं था। दोनों खेत सींव जोड है एवं एकसी जमीन है। वादीगण की कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में गलत खातेदारी नम्बर दर्ज होने से अधिकारों पर बुरा असर पड़ा है क्योंकि वादीगण हमेशा से ही खेत ख.नं. 196/11, 197/11 काश्त करते आ रहे हैं। इस कारण खसराजात को दुरूस्त कराना आवश्यक हो गया है वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई बार कहा व कहलवाया कि वो दुरूस्त करवा लेवें तो पहले तो प्रतिवादीगण टाल–मटोल करते रहे आखिरकार दिनांक 20.02.2023 को ऐसा करने से स्पष्ट इंकार हो गये लिहाजा यही तारीख विनाय मुखास्मत वाद है इसी कारण माननीय न्यायालय के समक्ष दुरूस्ती कराने हेतु घोषणात्मक एवं समेकन के लिये विनिमय का दावा प्रस्तुत करना पड रहा है।

दावा पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावें कि वादीगण जो खेत ख.नं. 196/11 तादादी 2.4658 हैक्ट., ख.नं. 197/11 तादादी 2.4658 हैक्ट. कुल तादादी 4.9816 हैक्ट. रोही मौजा भूतिया तहसील तारानगर के खातेदार काश्तकार है।

वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री केदारमल स्वामी ने वकालतनामा एवं इकबाल दावा दिनांक 30.06.2025 को पेश किया। मुताबिक इकबाल दावा राजस्व रिकॉर्ड व वर्तमान मौके की स्थिति के अनुसार रिकॉर्ड दुरूस्त घोषणात्मक एवं समेकन के लिये विनिमय किया जाता है तथा दावा डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण सं. 01 व 02 को कोई उजर व ऐतराज नहीं है। पैरोकार राज तहसीलदार तारानगर उपस्थित आये। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार रोही ग्राम भूतिया ख.नं. 196/11 तादादी 2.4658 हैक्ट. धुड़ाराम पुत्र जैसारा जाति माली निवासी तारानगर एवं ख.नं. 197/11 तादादी 2.4658 हैक्ट. भूमि जगदीश पुत्र जैसाराम जाति माली निवासी तारानगर के दर्ज रिकार्ड है। ख.नं. 12 तादादी 4.8810 हैक्ट. अनिल गोस्वामी वगैरह जमाबंदी खाता सं. 18 के अनुसार दर्ज रिकार्ड है जबकि मौका स्थिति संलग्न नजरी नक्शा के मुताबिक मौका पर ख.नं. 12 के उतरी दिशा में खातेदार धुड़ाराम व दक्षिणी दिशा में जगदीश पुत्र जैसाराम की कब्जा–काश्त है। खसरा नंबर 196/11 व 197/11 में वादी अनिल गोस्वामी वगैरह की कब्जा–काश्त है। वादपत्र का खण्डन पेश नही होने के कारण तनकी नही बनाई गई। वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 01 एवं 02 ने स्वयं उपस्थित होकर दिनांक 28.06.2024 को राजीनामा पेश किया। मुताबिक राजीनामा खेत खसरा सं. 196/11 तादादी 2.4658 हैक्ट. व ख.नं. 197/11 तादादी 2.4658 हैक्ट. रोही मौजा भूतिया तहसील तारानगर जिला चूरू की कृषिभूमि वादीगण अनिल गोस्वामी आदि के हक एवं हिस्सा में रहेगी एवं खसरा सं. 12 तादादी 4.8810 हैक्ट. रोही मौजा भूतिया तहसील तारानगर जिला चूरू की कृषिभूमि प्रतिवादीगण धुड़ाराम, जगदीश पुत्रान जैसाराम जाति माली निवासी तारानगर जिला चूरू के बराबर–बराबर हक एवं हिस्से में रहेगी। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 01 व 02 की ओर से दिनांक 28.06.2024 को राजीनामा प्रस्तुत किया गया कि कृषिभूमि ख.नं. 196/11 तादादी 2.4658 हैक्ट. व ख.नं. 197/11 तादादी 2.4658 हैक्ट. रोही मौज भूतिया तहसील तारानगर की भूमि वादीगण के हक एवं हिस्से में रहेगी तथा कृषिभूमि ख.नं. 12 तादादी 4.8810 हैक्ट. रोही मौजा भूतिया

Jayendra

तहसील तारानगर की कृषिभूमि प्रतिवादीगण धुड़ाराम, जगदीश पुत्रान जैसाराम जाति माली निवासी तारानगर के बराबर बराबर हक एवं हिस्से में रहेगी। तहसीलदार तारानगर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार वादगत ख.नं. 12 तादादी 4.8810 हैक्ट., ख.नं. 196/11 तादादी 2.4658 हैक्ट., व ख.नं. 197/11 तादादी 2.4658 हैक्ट. की किस्म बा. दोयम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं अतः विनिमय में दी व ली जा रही भूमि की किस्म समान है। दोनो पक्षों की भूमि की डीएलसी दर भी समान है। वादीगण जो कि ख.नं. 12 के रिकॉर्डेड खातेदार है लेकिन मौके पर ख.नं. 196/11 एवं 197/11 में काबिज होकर बिना किसी शिकमी बंटवारा या मेड़ के संयुक्त रूप से काश्त कर रहे हैं। जबकि प्रतिवादीगण धुड़ाराम व जगदीश क्रमशः ख.नं. 196/11 व 197/11 के रिकॉर्डेड खातेदार है लेकिन मौके पर ख. नं. 12 में काबिज होकर स्पष्ट मेड़/सीमा द्वारा पृथक-पृथक बंटवारा कर स्वतंत्र रूप से काश्त कर रहे हैं। मौके पर राजस्व नक्शा व वास्तविक स्थिति में भिन्नता पाई गई है। राजस्व नक्शा में ख.नं. 12 में कोई विभाजन नहीं है लेकिन मौके पर काबिज काश्तकार धुड़ाराम आदि मेड़ बनाकर विभाजन किया हुआ है। ख.नं. 196/11 व 197/11 राजस्व नक्शा में पृथ-पृथक स्वतंत्र खसरे है जबकि मौके पर काबिज अनिल गोस्वामी आदि काश्तकारों द्वारा संयुक्त रूप से काश्त की जा रही है व दोनों खसरा नम्बरों के बीच कोई स्पष्ट सीमा विधमान न होकर एकल खेत विधमान है। राजपैरोकार ने वादपत्र में राज्यहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया।

वकील पक्षकारान ने अपनी बहस में जाहिर किया कि ख.नं. 12 व ख.नं. 196/11 व 197/11 के मध्य में सींव स्थित नहीं होने के कारण वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 01 व 02 अपने हिस्से में आने वाली भूमि के अनुसार काश्त कर रहे है जबकि मुताबिक राजस्व रिकार्ड के मौके पर ख.न. 12 के खातेदार द्वारा ख.नं. 196/11 व 197/11 की भूमि को काश्त किया जा रहा है एवं ख.नं. 196/11 व 197/11 के खातेदारों द्वारा ख.नं. 12 की भूमि को काबिज होकर काश्त किया जा रहा है। उक्त खसरा नं. की भूमि की किस्म बारानी दोयम है एवं लगातार मौके के अनुसार ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 01 व 02 व इनके पूर्वजों द्वारा काश्त की जा रही है। इस प्रकार प्रश्नगत भूमि की किस्म व रकबा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा रहा है मात्र राजस्व रिकार्ड नक्शा में तरमीम की ही शुद्धि की जानी है जिससे उभयपक्ष आपस में सहमत है एवं इसी प्रकार की जांच रिपोर्ट तहसीलदार तारानगर द्वारा न्यायालय हाजा में पेश की गई है। इसलिए तहसीलदार तारानगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार ख.नं. 12 की भूमि मुताबिक काबिज प्रतिवादी सं. 01 व 02 के नाम से राजस्व नक्शा में दर्ज की जावें तथा ख.नं. 196/11 व 197/11 की भूमि वादीगण के नाम से राजस्व नक्शा में दर्ज की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। वाद पत्र का मुख्य बिंदु यह है कि वादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड भूमि ख.नं. 12 पर प्रतिवादीगण सं. 01 व 02 तथा प्रतिवादीगण सं. 01 व 02 के नाम दर्ज रिकार्ड भूमि ख.नं. 196/11 व 197/11 पर वादीगण काबिज काश्त है। उक्त काबिज काश्त के अनुसार ही वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 01, 02 तरमीम करवाना चाहते है। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट के अनुसार भी ख.नं. 196/11 व 197/11 की भूमि जो राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण सं. 01 व 02 के नाम दर्ज है में किसी प्रकार का शिकमी बंटवारा या मेड़ मौके पर मौजूद नहीं है ये भूमि एकल है एवं इस पर वादीगण का कब्जा काश्त है एवं इनके द्वारा ही इसका उपयोग उपभोग मौके पर किया जा रहा है। इसी प्रकार ख.नं. 12 की भूमि में स्पष्ट मेड़ व सीमा द्वारा पृथक-पृथक बंटवारा किया जाकर प्रतिवादीगण सं. 01 व 02 का कब्जा काश्त है एवं इस भूमि को इनके द्वारा उपयोग उपभोग मौके पर किया

जा रहा है। विवादित खसराजात की कृषिभूमियां पास–पास है एवं पूर्वजों के गुजरने के बाद भी उक्त कृषिभूमियां वादीगण एवं प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने अपनी कब्जा काश्त कृषिभूमि पर चारों तरफ तारबन्दी भी कर रखी है परन्तु उक्त खसराजात कृषिभूमियों के राजस्व नक्शा में गलत तरमीम दर्ज रिकार्ड है जिसके कारण वादीगण के अधिकारों पर बुरा असर पड़ रहा है। इस प्रकार प्रकरण कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती का है। दावा में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं. 01, 02 विवादित भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार हैं। जिनका मुताबिक कब्जा काश्त के राजस्व नक्शा में तरमीम शुद्धि करने पर ना ही तो इन पक्षकारान के हितों पर विपरित प्रभाव कारित होना है व ना ही मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट के राज्यहित को नुकसान होना है। अगर वाद वादीगण मुताबिक दावा डिक्री किया जाता है तो पक्षकारान के मध्य जो राजस्व नक्शे के कारण विपरित स्थिति उत्पन्न हुई है उसका स्थाई समाधान ही होगा। इसलिए वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा के डिक्री किया जाना उचित है।

—::आदेश::—

अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाकर विवादित कृषिभूमि रोही मौजा भूतिया तहसील तारानगर जिला चूरू की कृषिभूमि ख.नं. 196/11 तादादी 2.4658 हैक्ट., ख.नं. 197/11 तादादी 2.4658 हैक्ट. व ख.नं. 12 तादादी 4.8810 हैक्ट. भूमि की तरमीम मुताबिक तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट (अनेक्चर ''क'') के अनुसार डिक्री कर आदेश दिया जाता है कि ख.नं. 12 की भूमि की तरमीम शुद्ध करते हुए उक्त भूमि के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम दर्ज ख.नं. 196/11 व 197/11 की तरमीम की जावें व ख.नं. 196/11 व 197/11 की भूमि की तरमीम शुद्ध करते हुए उक्त भूमि के स्थान पर वादीगण के नाम दर्ज ख.नं. 12 की तरमीम की जावें। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट (अनेक्चर 'क') निर्णय का हिस्सा रहेगी। पर्चा डिक्री अलग से जारी किया गया।

Rajendra
(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
तारानगर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 07.11.2025 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनवाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

Rajendra
(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
तारानगर (चूरू)